610

संख्याः /USDMA/792(2020)

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6.

यू0एस0डी0एम0ए0 देहरादून, दिनांकः: 14 मई, 2021

विषयः **कोविड–19 के संक्रमण नियंत्रण हेतु "COVID – Curfew" के दौरान उद्योगों में कार्यरत् कर्मचारियों के संबंध में।**

महोदया/महोदय,

COVID–Curfew से संबंधित पूर्व में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्याः 84/USDMA/ 792(2020) दिनांक 09.05.2021 के विन्दु संख्या– "15. G-i." जो उद्योगों के संचालन से संबंधित है, को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

15. G. Industries/Industrial Establishments both Government and Private as listed below:

i. All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict adherence to SoPs and Covid-19 safety protocol.

राज्य के समस्त उद्योगों में कार्यरत् कर्मचारियों को अपने निवास स्थान से कार्यस्थल पर आने–जाने का समय प्रातः 07:00 बजे से 09:00 बजे तक तथा सांय 05:00 बजे से 07:00 बजे तक रहेगा। इस अवधि में वे संबंधित उद्योग द्वारा जारी पास के आधार पर आवागमन कर सकेंगे। इस पास पर उनका आधार नम्बर अवश्य अंकित होगा। उन्हें आधारकार्ड भी रखना आवश्यक होगा। पास जारीकर्ता द्वारा पास के एक नमूने की हस्ताक्षरित प्रति संबंधित थाने/चौकी जहां उद्योग स्थापित हों एवं जहां कर्मचारियों का निवास स्थान हो को दी जायेगी।

उपरोक्त समय से इतर की स्थिति में उद्योगों में कार्यरत् श्रमिकों/कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने एव निवास स्थान छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था उद्योग प्रबन्धन द्वारा की जायेगी या उद्योग प्रबन्धन द्वारा श्रमिकों/कर्मचारियों को उद्योगों के परिसर में ही रहने का प्रबन्धन किया जायेगा।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

Om Prakash
14.05.21

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

611

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 आपदा प्रबंधन मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. संबंधित पत्रावली।

आज्ञा से,

(एस0ए0 मुरूगेशन)
सचिव।

o/c